

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी  
जिला जोधपुर

राजस्व विधि प्रवर्धना पत्र संख्या 113/2020


प्राप्ति

अप्रप्ति

फैसल जमीन तहसील/ जमाग-जमाग संख्या नं. 113

किस्म मुकदमा- अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट 1956

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स पत्र	नम्बर व तारीख अटकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
21/12/2020	<p>तहसीलदार लूणी के द्वारा प्राप्त भूअभिलेख अनुमितीकरण कार्यक्रम (DI.RMP)के तहत जणकदी व मौजूदी खसरी को राजस्व नकसों में दर्ज करने से संबंधित जल विज्ञान के मध्यमजर जिन खसरो में रेकर्ड मौजूद व नकसों में भिन्नता आ रही है यथा किसी सरकारी खसरो में ह कड़े खातोदारों को पुर्वे में मे.मु.बाडा एव अन्य किस्म के खसरो में खसरो के लिए किये गये जिनका नामान्तरण पुरत कर मजरी नक्शा आवंटन व आवंटन सम्बन्धी दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध नहीं है जिनकी दिशा व स्थिति स्पष्ट नहीं है अतः ऐसे खसरो को मूल खसरो में एकीकरण के प्रस्ताव हल्का पटवारी <u>खारादोरापुरो डि.ग.मय</u> अ-राषा भूअनिरीक्षक <u>कांसाग</u> एव तहसीलदार लूणी से प्राप्त हुये जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा अन्तर्गत 131, 136 के तहत मूल प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को माफिक प्रेषा मूल प्रस्ताव अनुसार (DI.RMP)के तहत रेकर्ड में एकीकरण कर रेकर्ड दुरुस्ती करे। पत्रावली फौसल शुम्बर होकर दफ्तर दर्जित हो।</p>	

  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
लूणी